

## मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

हरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र गुलजारीलाल  
जाति जाट निवासी मकान नं० सी  
115/21 जयहिन्द नगर पुलिस लाईन  
कोटा

-वादी

- बनाम
- 1.द्वारकी पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़
  - 2.पांची पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़
  - 3.रामकैलाश पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़
  - 4.रामगोपाल पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़
  - 5.रामनाथी पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़
  - 6.राममूर्ति पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़
  - 7.रामलाल पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा कोटा
  - 8.सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा।

-प्रतिवादीगण

**-:: वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:-**

मुकदमा नं. 157/2025 (दावा)

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम दसलाना प०हल्का दसलाना की आराजी ख०न० 346 रकबा 2.55 हे० भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाइनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा	दिशा
हरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र गुलजारीलाल निवासी 115/21 जयहिन्द नगर पुलिस लाईन कोटा	346	0.51 हे०	उत्तर
1.द्वारकी पुत्री मोहनलाल धाकड़ हि० 8/51 2.पांची पुत्री मोहनलाल धाकड़ हि० 4/51 3.बुद्धिप्रकाश पुत्र मोहनलाल धाकड़ हि० 4/51 4.रामगोपाल पुत्र मोहनलाल धाकड़ हि० 8/51 5.राममूर्ति पुत्री मोहनलाल धाकड़ हि० 8/51 6.रामलाल पुत्र मोहनलाल धाकड़ हि० 19/51	346	2.04 हे०	दक्षिण

वाद के खर्चे लेखे ... X .....रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित .... X .....द्वारा ..... X ....को दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 20 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प 2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	

उपखण्ड अधिकारी  
कोटा